प्रेषक,

संदीप कौर,
विशेष सचिव,
उत्तर प्रदेश शासन।

सेवा में,

निदेशक,
उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग,
उत्तर प्रदेश, लखनऊ।

खाद्य प्रसंस्करण अनुभाग **लखनऊ::दिनांकः 30 अप्रैल, 2019**

विषयः- वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-10 के अधीन लेखाशीर्षक-2401-119-04-0411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 एवं लेखाशीर्षक-2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 की योजना के क्रियान्वयन हेतु कुल धनराशि रू0-2366.05 लाख (रूपया तेईस करोड़ छियासठ लाख पाँच हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने के संबंध में।

महोदय,

उपर्युक्त विषयक अपने पत्रांक-02/बजट/2019-20, दिनांकः 12.04.2019 एवं पत्रांक-03/बजट/2019-20, दिनांकः 12.04.2019 का सन्दर्भ ग्रहण करने का कष्ट करें।

2. इस संबध में मुझे यह कहने का निदेश हुआ है कि वित्तीय वर्ष 2019-20 में अनुदान संख्या-10 के अधीन लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04-फल-0411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 की योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-203.05 लाख एवं लेखाशीर्षक-2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04-फल-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 की योजना के अन्तर्गत प्राविधानित धनराशि रू0-2163.00 लाख अर्थात कुल धनराशि रू0-2366.05 लाख (रूपया तेईस करोड़ छियासठ लाख पाँच हजार मात्र) अवमुक्त किये जाने की वित्तीय एवं प्रशासकीय स्वीकृति प्रदान करते हुए आपके निर्वतन पर रखते हुए निम्नलिखित शर्तों एवं प्रतिबन्धों के अधीन व्यय किये जाने की श्री राज्यपाल महोदय सहर्ष स्वीकृति प्रदान करते है जिसका विवरण निम्नवत है :-

अनुदान संख्या-10 **(धनराशि लाख रूपये में)**

क्र0सं0	**लेखाशीर्षक**	**वित्तीय वर्ष 2019-20 के लिए आय-व्ययक प्राविधान**	**अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि**
1	2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04-फल-0411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012	**203.05**	**203.05**
2	2401-फसल कृषि कर्म-119-बागवानी तथा वनस्पति की फसलें-04-फल-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	**2163.00**	**2163.00**
	कुल योग	**2366.05**	**2366.05**

(रूपया तेईस करोड़ छियासठ लाख पाँच हजार मात्र)

.....2/-

http://shasanadesh.up.nic.in

3. उपरोक्त तालिका में अंकित योजनाओं का मदवार विवरण निम्नवत है :-

3(क). लेखाशीर्षक 2401-119-04-0411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012 का मदवार विवरण :-

अनुदान संख्या-10 **(धनराशि लाख रूपये में)**

लेखाशीर्षक	कोड संख्या/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
2401-119-04-0411-खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2012	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवओं के लिए भुगतान	0.10	0.10
	20-सहायता अनुदान-सामान्य (गैर वेतन)	200.00	200.00
	42-अन्य व्यय	2.50	2.50
	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	0.45	0.45
	योग-	**203.05**	**203.05**

(रूपया दो करोड़ तीन लाख पाँच हजार मात्र)

3(ख). लेखाशीर्षक 2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017 का मदवार विवरण :-

अनुदान संख्या-10 **(धनराशि लाख रूपये में)**

लेखाशीर्षक	कोड संख्या/मद का नाम	आय-व्ययक प्राविधान	अवमुक्त हेतु प्रस्तावित धनराशि
2401-119-04-0418-उ0प्र0 खाद्य प्रसंस्करण उद्योग नीति-2017	04-यात्रा व्यय	1.00	1.00
	08-कार्यालय व्यय	1.00	1.00
	09-विद्युत देय	1.00	1.00
	11-लेखन सामग्री और फार्मों की छपाई	1.00	1.00
	12-कार्यालय फर्नीचर एवं उपकरण	3.00	3.00
	15-गाड़ियों का अनुरक्षण और पेट्रोल आदि की खरीद	5.00	5.00
	16-व्यवसायिक तथा विशेष सेवाओं के लिए भुगतान	4.00	4.00
	18-प्रकाशन	5.00	5.00
	27-सब्सिडी	2000.00	2000.00
	42-अन्य व्यय	5.00	5.00
	44-प्रशिक्षण हेतु यात्रा एवं अन्य प्रासंगिक व्यय	130.00	130.00
	46-कम्प्यूटर हार्डवेयर/साफ्टवेयर का क्रय	3.00	3.00
	47-कम्प्यूटर एवं अनुरक्षण/तत्संबंधी स्टेशनरी का क्रय	2.00	2.00
	58-आउट सोर्सिंग सेवाओं हेतु भुगतान	2.00	2.00
	योग-	**2163.00**	**2163.00**

(रूपया इक्कीस करोड़ तिरसठ लाख मात्र)

1. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित उन्हीं मदों में किया जायेगा जिनके लिये धनराशि स्वीकृत की जा रही है। इस आशय का प्रमाण-पत्र निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग द्वारा शासन को उपलब्ध कराया जायेगा। जहाँ आवश्यकता हो, सक्षम अधिकारी की स्वीकृति के पश्चात् ही उपरोक्त मदों में व्यय किया जायेगा।

.....3/-

http://shasanadesh.up.nic.in

2. उक्त धनराशि व्यय/निर्गत करने से पूर्व निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग यह सुनिश्चित कर लेंगे कि प्रदेश में लागू आदर्श आचार संहिता का उल्लंघन न हो।
3. खाद्य प्रसंस्करण शाखा के अन्तर्गत व्यवस्थित मदों के अतिरिक्त किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय कदापि नहीं किया जायेगा। यदि किन्हीं अन्य मदों में उक्त धनराशि का व्यय किया जाता है तो इसे वित्तीय अनियमितता माना जायेगा। निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा आहरण एवं वितरण अधिकारी इस हेतु पूर्ण रूप से उत्रदायी होंगे।
4. उक्त स्वीकृत धनराशि का व्यय उत्तर प्रदेश बजट मैनुअल और फाइनेन्सियल हैण्डबुक के नियमों प्राविधानों के अनुसार नियन्त्रक अधिकारी के नियन्त्रण में किया जायेगा।
5. स्वीकृत धनराशि के व्यय का विवरण यथा वित्तीय नियमों के अनुसार शासन/वित्त विभाग को उपलब्ध कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
6. मितव्ययिता के संबंध में वित्त विभाग/शासन द्वारा समय-समय पर निर्गत शासनादेशों के निर्देशों का कड़ाई से अनुपालन कराना सुनिश्चित किया जायेगा।
7. यह आदेश वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1 के कार्यालय-ज्ञाप संख्या-1/2018/बी-1-170/दस-2019-231/2019, दिनांक-22/03/2019 में प्रशासकीय विभागों को प्रतिनिधानित निर्देशों/अधिकारों के अन्तर्गत जारी किये जा रहे है।
8. उपरोक्त शर्तों एवं अनुबन्धों का अनुपालन कड़ाई से सुनिश्चित किया जायेगा। विचलन की स्थिति में वित्तीय अनियमितता मानी जायेगी जिसके लिए निदेशक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग तथा वित्त नियंत्रक, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण विभाग, उ0प्र0 उत्तरदायी होंगे।

भवदीय,

(संदीप कौर)
विशेष सचिव।

संख्या-72/2019/352(1)/58-2-2019, तद्दिनांक:

प्रतिलिपि निम्नलिखित को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

(1) महालेखाकार (लेखा एवं हकदारी) प्रथम/द्वितीय, उत्तर प्रदेश, प्रयागराज।
(2) महालेखाकार (लेखा-परीक्षा) प्रथम/द्वितीय, सत्यनिष्ठा भवन, 15, थार्न हिल रोड, प्रयागराज ।
(3) मुख्य कोषाधिकारी, जवाहर भवन, उत्तर प्रदेश, लखनऊ।
(4) वित्त नियंत्रक/आहरण एवं वितरण अधिकारी, उद्यान एवं खाद्य प्रसंस्करण निदेशालय, उ0प्र0 लखनऊ।
(5) वित्त (व्यय-नियन्त्रण) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(6) वित्त (आय-व्ययक) अनुभाग-1, उत्तर प्रदेश शासन।
(7) वित्त संसाधन (केन्द्रीय सहायता) अनुभाग, उत्तर प्रदेश शासन।
(8) गार्ड फाईल।

आज्ञा से,

(शकील अहमद सिद्दीकी)
अनु सचिव।

http://shasanadesh.up.nic.in